न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :— जगदीश प्रसाद गौड़
आर.ए.एस.

अपील संख्या :— 54/2019

नेतराम पुत्र मालाराम, उम्र 62 वर्ष, जाति जाट, पेशा खेती निवासी हिम्मतपुरा, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनूं।

—अपीलार्थी

—बनाम—

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनूं।

— रेस्पोडेन्ट

अपील खिलाफ निर्णय न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी
उनवानी सरकार बनाम नेतराम अं0धारा 91 एल0आर0एक्ट 1956
मु0न0 52/2019 निर्णय दिनांक 25.01.2021

उपस्थितिः—

1 श्री महीपाल सिंह कपूरिया, एडवोकेट ————————अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी,एडवोकेट————————————रेस्पोडेन्ट की ओर से।

—निर्णय— दिनांक 10.02.2021

उक्त अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 27.08.2020 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम नेतराम मु0नं0 52/2019 अ. धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956 न्यायालय नायब तहसीलदार तहसीलदार गुढा गोड़जी के विरूद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि— खसरा नंबर 864 रकबा 4.47 हैक्टर किस्म बंजड़ द्वितीय के रकबा 0.50 हैक्टेयर व खसरा नंबर 528 रकबा 82.24 हैक्टेयर किस्म गैर मु0 नदी के 0.50 रकबा मौजा ग्राम खटकड़ उपतहसील गुढा गोड़जी पर कब्जा सम्वत 2025 से मुतवातिर अब तक है। ऐसी सूरत में योग्य अदालत मातहत को अपीलांट के विरूद्ध बेदखली की कार्यवाही नहीं करनी चाहिये थी। अपीलांट उपरोक्त आराजीयात पर कदीमी रिहायश भी करता है। अपीलांट के कब्जे के आधार पर नियमन करना चाहिये था। निर्णय दिनांक 07.11.2019 पारित करते समय अदालत मातहत ने पाईन्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.03.04 17:41:17 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनूं

अप्लाई नहीं किया। अधीनस्थ न्यायालय को उक्त निर्णय पारित करने से पूर्व उक्त प्रकरण उपखण्ड स्तरीय नियमन कमेटी के समक्ष नियमन हेतु रिफारिश के साथ प्रकरण भेजना चाहिये था। विवादित भूमि पर अपीलांट की कास्त राजस्व दस्तावेजात खसरा परिवर्तित निर्धारण तथा गैर मुस्तकील कास्त का अंकन करीब करीब हर साल की बाबत सम्वत 2050 से दर्ज चली आ रही है,लेकिन योग्य अदालत मातहत ने अपीलांट को साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर प्रदान नहीं किया। पटवारी हल्का खटकड़ के द्वारा अदालत मातहत में प्रस्तुत रिपोर्ट में दर्ज अतिक्रमी भाग के रकबा व अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णण दिनांक 07.11.2019 में दर्ज रकबा में भी भिन्नता है, इसलिये भी योग्य अदालत मातहत द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांकित 7.11.2019 मय खर्चा काबिले खारिज है। अतः अपील अपीलांट मंजूर फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार गुढ़ा–गौड़जी के उनवारी सरकार बनाम नेतराम मु0 नं0 52/2019 में पारित निर्णय दिनांक 07.11.2019 को खारिज फरमावें तथा उपरोक्त आराजीयात को नियमन किये जाने हेतु उपखण्ड स्तरीय नियमन कमेटी के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जावे।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया किः– खसरा नंबर 864 रकबा 4.47 हैक्टर किस्म बंजड़ द्वितीय के रकबा 0.50 हैक्टेयर व खसरा नंबर 528 रकबा 82.24 हैक्टेयर किस्म गैर मु0 नदी के 0.50 रकबा मौजा ग्राम खटकड़ उपतहसील गुढा गोड़जी पर कब्जा सम्वत 2025 से मुतवातिर अब तक है। ऐसी सूरत में योग्य अदालत मातहत को अपीलांट के विरूद्ध बेदखली की कार्यवाही नहीं करनी चाहिये थी। अपीलांट उपरोक्त आराजीयात पर कदीमी रिहायश भी करता है। अपीलांट के कब्जे के आधार पर नियमन करना चाहिये था। निर्णय दिनांक 07.11.2019 पारित करते समय योग्य अदालत मातहत ने माईन्ट अप्लाई नहीं किया। अधीनस्थ न्यायालय को उक्त निर्णय पारित करने से पूर्व उक्त प्रकरण उपखण्ड स्तरीय नियमन कमेटी के समक्ष नियमन हेतु रिफारिश के साथ प्रकरण भेजना चाहिये था। विवादित भूमि पर अपीलांट की कास्त राजस्व दस्तावेजात खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.03.04 17:41:17 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर झुंझुनूं

परिवर्तित निर्धारण तथा गैर मुस्तकील कास्त का अंकन करीब करीब हर साल की बाबत सम्वत 2050 से दर्ज चली आ रही है,लेकिन योग्य अदालत मातहत ने अपीलांट को साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर प्रदान नहीं किया। पटवारी हल्का खटकड़ के द्वारा अदालत मातहत में प्रस्तुत रिपोर्ट में दर्ज अतिक्रमी भाग के रकबा व अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णण दिनांक 07.11.2019 में दर्ज रकबा में भी भिन्नता है, इसलिये भी योग्य अदालत मातहत द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांकित 7.11.2019 मय खर्चा काबिले खारिज है। अतः अपील अपीलांट मंजूर फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार गुढ़ा–गौड़जी के उनवारी सरकार बनाम नेतराम मु0 नं0 52/2019 में पारित निर्णय दिनांक 07.11.2019 को खारिज फरमावें तथा उपरोक्त आराजीयात को नियमन किये जाने हेतु उपखण्ड स्तरीय नियमन कमेटी के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जावे।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि अपीलान्ट द्वारा राजकीय भूमि गैर. मु. नदी पर अनाधिकृत रूप से फसल काश्त कर अतिक्रमण किया है । अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार गुढ़ा गौड़जी द्वारा विधिक प्रकिया के अन्तर्गत अपीलांट को सुना जाकर निर्णय पारित किया गया है । पारित निर्णय विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से हल्का पटवारी केड की रिपोर्ट दिनांक 3.10.2019 के अनुसार अपीलांट द्वारा भूमि खसरा नंबर 864 रकबा 4.47 हैक्टर किस्म बंजड़ द्वितीय के 0.50 हैक्टर व खसरा नंबर 528 रकबा 82.24 हैक्टर किस्म गै0 मु0 नदी के 0.50 हैक्टर रकबे पर अपीलांट द्वारा फसल काश्त कर अनाधिकृत कब्जा करना बताया गया है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को नोटिस जारी कर सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में जवाब प्रस्तुत किया गया है, लेकिन पुराने कब्जे के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुई है। अपीलांट द्वारा ना ही हाजा न्यायालय के समक्ष ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की [illegible] से अतिक्रमित भूमि पर अपीलांट काब्जा वैद्य साबित होता हो। खसरा नंबर 528 रकबा 82.24 हैक्टर किस्म गै0मु0 नदी की

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.03.04 17:41:17 IST
Reason: SelfAttested

प्रति. जिला कलेक्टर
झुंझुनूं

भूमि को जो नियमन योग्य भी नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार गुढ़ा गौड़जी का निर्णय दिनांक 07.11.2019 सरकार बनाम नेतराम यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली अदालत आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 10.02.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.03.04 17:41:17 IST
Reason: SelfAttested